1.	योजना का नाम	भिक्षावृत्ति व अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालय
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	राज्य में ऐसे निवासी जो भिक्षावृत्ति व अवांछित वृत्तियों में लिप्त हैं, उनके बालकों को आवासीय एवं शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु ग्राम मण्डाना, जिला कोटा में आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2008-09
4.	लाभान्वित वर्ग	भिक्षावृत्ति व अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालक
5.	पात्रता	• केवल राजस्थान के मूल निवासी एवं भिक्षावृत्ति व अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालक • भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों के बालकों के प्रमाणीकरण के लिये संबंधित ग्राम के सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक या राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक में से किसी एक के द्वारा एवं शहर में नगरपालिका, नगर निगम की ओर से अधिकृत अधिकारी, पटवारी, राजकीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी एवं तहसीलदार में से किसी एक के द्वारा होगा। • अवांछित गतिविधियों में लिप्त परिवारों के बालकों का प्रमाणीकरण संबंधित थाने के प्रभारी, पुलिस उप अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक में से किसी एक के द्वारा किया जावेगा। • प्रवेश से पूर्व की कक्षा राजकीय विद्यालय/ राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण की हो। • कक्षा 6 में प्रवेश हेतु अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों से कक्षा 5 उत्तीर्ण विद्यार्थी भी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

6.	देय सुविधाएं	• भोजन, नाश्ता एवं विशेष भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था • नि:शुल्क आवास व्यवस्था • आवासीय परिसर में ही शिक्षण सुविधा • बिजली, पानी की उचित व्यवस्था • तेल, साबुन, बाल कटाई आदि की सुविधा • गद्दे, कम्बल, चादर, तौलिया, खोली आदि की व्यवस्था एवं धुलाई • स्कूल यूनिफार्म आदि • समाचार पत्र-पत्रिका, टी.वी. एवं खेलकूद की व्यवस्था
7.	आवेदन का तरीका	• अभ्यार्थी निर्धारित प्रारूप में टंकित/ साईक्लोस्टाइल करवाकर आवेदन कर सकते हैं। • प्रत्येक आवेदक एक ही आवेदन प्रस्तुत करेगा। • आवेदन पत्र के लिफाफे के दायें कोने पर भिक्षावृत्ति व अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालकों के लिए आवेदन पत्र आवश्यक रूप से लिखें।
8.	आवेदन कहाँ किया जावे	प्रधानाध्यापक, आवासीय विद्यालय, ग्राम मण्डाना, जिला कोटा
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	• उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका • सक्षम अधिकारी से प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र • राजस्थान में रहने का मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10.	सम्पर्क सूत्र	राजस्थान रेजिडेन्शीयल एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित), राजस्थान, जयपुर।